

फर्द अहकाम

बनाम

श्री. लाल चण्ड

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्रावली भेज दी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलकर्ता जैपड होल्डर तहसीलदार कोटपुलती की ओर से प्रोकार सरकार (नाथब तहसीलदार कोटपुलती) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोटे एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बन्धित भू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। अपन कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजगत पेश किये।

हमने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड ब्राह्मदेवत का अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित रेसोन्डेन्स के डक में किया गया विवादित भूमि से सम्बन्धित रेसोन्डेन्स के डक में किया गया अलाटमेंट आदेश दिनांक 03/8/1979 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटिशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलकर्ता आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की अभिस कार्यावाही की जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल भूमिार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना बाखिल दफनर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

आतिशय निवा: फतपुर
कोटपुलती (जयपुर)

(Handwritten signature)

2005